बिहार लोक सेवा आयोग

15, जवाहरलाल नेहरू मार्ग (बेली रोड), पटना– 800001

शुद्धि पत्र

स्वास्थ्य विभाग, बिहार के अन्तर्गत बिहार दन्त स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के अधीन दन्त चिकित्सकों के रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु विभागीय अधियाचना के आलोक में आयोग द्वारा पूर्व में विज्ञापन संख्या– 05/2015 प्रकाशित किया गया था, जिसकी अंतिम तिथि दिनांक 30.04.2015 निर्धारित थी।

1. उल्लेखनीय है कि कुछ उम्मीदवारों द्वारा कतिपय बिन्दुओं को स्पष्ट करने के सम्बन्ध में आयोग कार्यालय में अभ्यावेदन दिए गए थे जिसके आलोक में आयोग के पत्रांक 56/लो॰से॰आ॰, दिनांक 08.04.2015 द्वारा उपर्युक्त उम्मीदवारों द्वारा उठाए गए बिन्दुओं को स्पष्ट करने हेतु स्वास्थ्य विभाग, बिहार से अनुरोध किया गया था। आयोग द्वारा भेजे गये उक्त पत्र के प्रत्युत्तर में स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना से प्राप्त पत्र पत्रांक 2/एम॰ 44/2008–596 (2) पटना दिनांक 07.05.2015 के आलोक में पूर्व प्रकाशित वि॰सं॰– 05/2015 में निम्नांकित संशोधन किये जाते हैंः–
    1. बिहार दन्त चिकित्सक सेवा नियमावली, 2014 के नियम 7(2) (क) (iii) में सरकारी अस्पताल में कार्य अनुभव के लिए प्रत्येक वर्ष के लिए 5 अंक अधिकतम 25 अंक दिए जाने का प्रावधान हैं। अधिसूचना की कंडिका– 2(क) में स्पष्ट उल्लेख है कि सरकार से अभिप्रेत है **बिहार राज्य सरकार।** अतः कार्य अनुभव हेतु अंक बिहार राज्य के सरकारी अस्पतालों के लिए मान्य होंगे।
    2. नियमावली की कंडिका– 7, टिप्पणी– (ख) में विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा में से प्रत्येक अनुतीर्णता के लिए एक अंक घटाने का प्रावधान किया गया है। इस सम्बन्ध में स्पष्ट करना है कि यह अंक प्रत्येक वर्ष की अनुतीर्णता के लिए घटाया जायेगा। उदाहरणस्वरूप अगर कोई अभ्यर्थी तीन वर्ष अनुतीर्ण होने के पश्चात् चौथे वर्ष उत्तीर्ण होता है तो उसके लिए 3 अंक घटाये जायेंगे।
    3. नियमावली की कंडिका– 5(2) में न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बी॰डी॰एस॰ की डिग्री होने का उल्लेख है, परंतु नियमावली में इस तथ्य का कोई उल्लेख नहीं है कि उनका निबंधन कहाँ से होगा। इस सम्बन्ध में स्पष्ट करना है कि बिहार एवं उड़ीसा मेडिकल ऐक्ट, 1916 अथवा Dentist Act, 1948 में निहित प्रावधान के तहत सक्षम प्राधिकार से निबंधित होना चाहिए।
    4. जहाँ तक न्यूनतम अर्हतांक का प्रश्न है, यह शैक्षणिक योग्यता, कार्यानुभव एवं साक्षात्कार के कुल योग के आधार पर होगा, अर्थात कुल 100 अंक में न्यूनतम 30 अंक।

तदनुसार आयोग द्वारा समाचार पत्रों में दिनांक 26.03.2015 को प्रकाशित बिहार दन्त स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के अधीन दन्त चिकित्सकों के रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु वि॰सं॰– 05/2015 के वैसे उम्मीदवार जिन्होंने उक्त पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन नहीं दिया है, से पुनः आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। जो उम्मीदवार पूर्व में आवेदन कर चुके हैं उन्हें पुनः आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। **मगर वैसे उम्मीदवार जिन्होंन पूर्व में आवेदन किया हो और आवेदन प्रपत्र में निबंधन का विवरण एवं संख्या का उल्लेख नहीं किया हो, वे एक सादे कागज पर अपना नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि, निबंधन संख्या एवं निबंधन के वर्ष का उल्लेख करते हुए एक आवेदन पत्र भेज दें एवं निबंधन प्रमाण पत्र की स्वअभिप्रमाणित प्रति भी इस आवेदन पत्र के साथ संलग्न कर दें। लिफाफा के ऊपर विज्ञापन संख्या एवं पदनाम का अवश्य उल्लेख करें। विज्ञापन की अन्य शर्तें पूर्व प्रकाशित उक्त विज्ञापन के आलोक में ही मान्य होंगी।**

2. आयोग के वेबसाईट पर प्रकाशित विहित प्रपत्र में भरा हुआ आवेदन पत्र वांछित सभी प्रमाण पत्रों के साथ केवल निबंधित डाक/स्पीड पोस्ट से इस प्रकार भेजें कि वह शुक्रवार, दिनांक 05.06.2015 की संध्या 5.00 बजे तक संयुक्त सचिव–सह–परीक्षा नियंत्रक, बिहार लोक सेवा आयोग, 15, जवाहरलाल नेहरू मार्ग (बेली रोड), पटना– 800001 को अवश्य प्राप्त हो जाय।

उपर्युक्त शुद्धि पत्र एवं संशोधित विहित प्रपत्र (वि॰सं॰–05/2015) आयोग के वेबसाईट http://bpsc.bih.nic.in पर भी उपलब्ध है।

संयुक्त सचिव–सह–परीक्षा नियंत्रक,
बिहार लोक सेवा आयोग, पटना